शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

पत्र क्र./राशिके/NTSE-NMMSS/2019/ 1793 भोपाल दिनांक 8/8/19

प्रति,

1. संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण
समस्त संभाग मध्यप्रदेश

2. जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले मध्यप्रदेश

3. प्राचार्य डाइट,
समस्त जिले मध्यप्रदेश

4. जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
समस्त जिले मध्यप्रदेश

विषय– सत्र 2019–20 की NTSE-NMMSS के परीक्षा का आयोजन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत दिनांक 03.11.2019 को NTSE-NMMSS की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। परीक्षा के विज्ञापन का प्रारूप एवं निर्देश संलग्न है। कृपया हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं माध्यमिक शालाओं में क्रमशः NTSE-NMMSS की एक–एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक छात्रों को M.P. Online के माध्यम से आवेदन पत्र भरवाने हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/संकुल प्राचार्य को निर्देशित करें। संलग्न परीक्षा नियमपुस्तिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से संपादित करें।

- विद्यालय को आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एम.पी.ऑन लाईन कियोस्क केन्द्र से उपलब्ध करवाना।
- छात्र द्वारा पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रेषित कर संकुल प्राचार्य के द्वारा सत्यापित किया जाना।
- संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करते समय जाति एवं विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच करना।
- ऑन लाईन प्रविष्टि कराये गये आवेदन पत्र की हार्डकॉपी संकुल स्तर पर संधारित करना।

कृपया अवगत होना चाहें कि आवेदन पत्र निःशुल्क भरने की प्रक्रिया दिनांक 08.08.2019 से M.P. Online के माध्यम से प्रारम्भ की जा रही है।

संलग्न :– NTSE-NMMSS के निर्देश एवं विज्ञापन

8.8.19
(ओ. एल. मण्डलोई)
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ क्र./राशिके/NTSE-NMMSS/2019/ 1794 भोपाल दिनांक 8/8/19

प्रतिलिपि :–
1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

8.8.19
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / NTSE-NMMSS / 2019 / 1784 भोपाल, दिनांक 07/08/19

विज्ञापन

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा 2019--2020

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना वर्ष 1963 से प्रारम्भ हुई है। इसका उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों को चिन्हित करना एवं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना है। NCERT नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, कक्षा 10वी के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है।

म.प्र. राज्य द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2019–20 दिनांक 3 नवम्बर 2019 को जिला स्तरीय केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। द्वितीय स्तर की परीक्षा दिनांक 10 मई 2020 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए राज्य से प्रत्याशियों की निर्धारित संख्या 530 है। अंतिम चयन हेतु राज्यों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

1. **पात्रता** – म.प्र. राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10 वी में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। दूरस्थ मुक्त शिक्षा (ओपन स्कूल) में पंजीकृत ऐसे छात्र जो 1 जुलाई 2019 को 18 वर्ष से कम उम्र के हो, कहीं कार्यरत न हो एवं कक्षा 10वी की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहें हो भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।
2. **छात्रवृत्ति** – NCERT नई दिल्ली द्वारा द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर पूरे देश से 2000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार है।

    1. कक्षा XI एवं XII के लिए 1250/– प्रतिमाह
    2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर कक्षाओं के लिए 2000/– प्रतिमाह
    3. Ph.D. के लिए UGC नार्मस के अनुरूप

3. **आरक्षण** – प्रथम चयन परीक्षा में आरक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन के नियम एवं निर्देश यथावत लागू रहेंगे। केवल मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य प्रदेशों के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजति के अभ्यार्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थी स्वंय के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेंगे। निःशक्त विद्यार्थियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा।

    आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है। भारत सरकार द्वारा 103 वें संविधान संशोधन, अधिनियम में आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "उक्त संविधान संशोधन के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो, संविधान के अनुच्छेद–341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति

एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–85–25–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा विर्निदिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा'' इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड ''मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–07–11/2019/आप्र/एक/भोपाल, दिनांक 2 जुलाई, 2019'' के अनुसार रहेंगे।

आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

4. **परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां:–**

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	08/08/2019
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	08/09/2019
परीक्षा दिनांक व दिन	03.11.2019 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

5. परीक्षा का विवरण:–

क्र	परीक्षा	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हताकारी अंक	
					सामान्य, पिछड़ा एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग 40%	अ.जा./अ. जजा./ निःशक्त वर्ग 32%
1	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	120 मिनट	100	100	40 अंक	32 अंक
2	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	120 मिनट	100	100	40 अंक	32 अंक

नोट – परीक्षा का समय MAT के लिए प्रातः 10:00 से 12:30 एवं SAT के लिए 1.30 से 3:30 तक रहेगा।

5.1 **मानसिक योग्यता परीक्षा** –इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में समजातता,वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन–विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।

5.2 **शैक्षिक योग्यता परीक्षण** – इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न विज्ञान के (भौतिक शास्त्र – 13, रसायन शास्त्र – 13, जीव विज्ञान – 14 प्रश्न), 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान (इतिहास – 15, भूगोल – 15, राजनीति शास्त्र – 5, अर्थशास्त्र – 5) तथा गणित विषय – 20 प्रश्न होगें।

6 . **पाठ्यक्रम** – राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नही है। यद्यपि प्रश्नों का स्तर म.प्र. राज्य में मान्य विभिन्न परीक्षा बोर्ड के कक्षा 9वीं एवं 10वीं की सार्वजनिक परीक्षा के समान होगा।

7. आवेदन की प्रकिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति

7.1 **इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में प्रकार मेन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 08/09/2019 है।**

7.2 आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपी ऑनलाइन की बेवसाइट http//www.mponline.gov.in पर दिनांक 08/08/2019 से प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के मोनो में क्लिक करने पर NTSE लिंक मिलेंगी, NTSE लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।

7.3 अभ्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संस्था के प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।

7.4 अभ्यार्थी पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र के पास जाकर ऑनलाइन एंट्री करवायेगा।

7.5 आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी। यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यार्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जायेगा। आवेदन पूर्ण अंकित रसीद की दो प्रतियों में से एक प्रति स्वयं आपने पास रखेगा एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेगा। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाइट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा केन्द्र (बी.पी.सी. कार्यालय) को आवेदन–पत्र भेजेगे। डाईट/बी.पी.सी. कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को निर्धारित तिथि पर ही भेजे जावेंगे।

7.6 स्वंय के नाम का जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का स्वीकार किया जावेगा।

7.7 प्रवेश पत्र अक्टूबर माह 2019 के तीसरे सप्ताह से एम.पी. ऑनलाइन के लिंक https//www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड कर सकेगे।

8. **परीक्षा का माध्यम** – परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

9. **परीक्षा शुल्क –** इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

10. **महत्वपूर्ण निर्देश :–**

10.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुँचना अनिवार्य है।

10.2 सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी तरह की इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का प्रयोग प्रतिबंधित है।

10.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

10.4 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नही है।

10.5 उत्तरशीट परीक्षा उपरान्त पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।

10.6 परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण परीक्षा संबंधी नियम पुस्तिका में उपलब्ध है जिसे एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाईट https//www.mponline.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

11. **पुनर्मूल्यांकन** – इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नही है।

12. **यात्रा भत्ता** – परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने–जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र,
भोपाल

प्ररूप

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाल आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-....................... दिनांक-.............................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र/पति/पुत्री.. ग्राम/कस्बा...
पोस्ट ऑफिस..थाना...
तहसील.................................. जिला....................................... राज्य...................................
पिन कोड.................. के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है:-

I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी)।
II. जिसके पास 1200 वर्गफूट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
IV. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

2. श्री/ श्रीमती/कुमारी..जाति..................................... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर...............(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार

राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा 2019–2020 (NTSE)
(कक्षा– 10 वी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)
परीक्षा नियम पुस्तिका

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2019–20 दिनांक 03 नवम्बर 2019 को जिला स्तरीय परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय स्तर की परीक्षा दिनांक 10 मई 2020 के लिए राज्य से प्रत्याशियों की निर्धारित संख्या 530 को अनुमोदित करती है। वर्ष 2019–20 में मध्यप्रदेश राज्य हेतु निर्धारित संख्या 530 है। अंतिम चयन हेतु राज्यों का कोई कोटा निर्धारित नही है।

1. **पात्रता** – म.प्र. राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10 वी में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा मे सम्मिलित होने के पात्र हैं। दूरस्थ मुक्त शिक्षा (ओपन स्कूल) में पंजीकृत ऐसे छात्र जो 1 जुलाई 2018 को 18 वर्ष से कम उम्र के हो कहीं कार्यरत न हो एवं कक्षा 10वी की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहें हो भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।
2. **छात्रवृत्ति** – राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर से 2000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार है–
   1. कक्षा XI एवं XII के लिए 1250/– प्रतिमाह
   2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर कक्षाओं के लिए 2000/– प्रतिमाह
   3. Ph.D के लिए UGC नार्मस के अनुरूप
3. **आरक्षण**– प्रथम चयन परीक्षा हेतु म.प्र. राज्य के नियमानुसार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 10 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु 14 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 20 प्रतिशत एवं निःशक्त विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक वर्ग में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा। केवल मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। निःशक्तजन अंतर्गत अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित एवं बहुविकलांग सभी वर्गों के 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता के अभ्यार्थी ही आरक्षण हेतु पात्र होंगे।
4. **परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां–**

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	08/08/2019
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	08/09/2019
परीक्षा दिनांक व दिन	03/11/2019
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

5. **परीक्षा विवरण :– राज्य स्तरीय परीक्षा स्टेज–1 दिनांक 03.11.2019**

परीक्षा दिनांक	प्रश्न क्र.	समय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि	अहर्ताकारी अंक	• नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
03.11.19	प्रश्न पत्र–1 MAT	प्रातः 10:00 से 12:00 (दृष्टि बाधित के लिए) 10:00 से 12:30	100	100	120 minutes (2 घंटे)	32% Sc,St 40% Gen 40% OBC/ EWS	• छात्रों को दोनो (MAT,SAT) प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। • छात्रों का चयन, प्राप्तांको के आधार पर Merit Basis पर किया जायेगा।
	प्रश्न पत्र–2 SAT	दोपहर 01:30 से 03:30 (दृष्टि बाधित के लिए) दोपहर 01:30 से 3:30)	100 विज्ञान– 40 गणित– 20 समाजिक विज्ञान–40	100	120 minutes (2 घंटे)		

नोट – प्रत्येक अभ्यार्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से आधा घण्टा पूर्व (सुबह 9:30 बजे एवं दोपहर 1:00 बजे) अनिवार्य रूप से पहुँचे।

- मानसिक योग्यता परीक्षा –इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में समजातता,वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन–विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।
- .शैक्षिक योग्यता परीक्षण– इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न विज्ञान के (भौतिक शास्त्र– 13, रसायन शास्त्र– 13, जीव विज्ञान– 14 प्रश्न), 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान (इतिहास– 15, भूगोल– 15, राजनीति शास्त्र– 05, अर्थशास्त्र– 05) तथा गणित विषय– 20 प्रश्न होंगे।

6 **पाठ्यक्रम–** राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नही है। यद्यपि प्रश्नों का स्तर मध्यप्रदेश राज्य में मान्य विभिन्न परीक्षा बोर्ड के कक्षा 9वीं एवं 10वीं की परीक्षा के समान होगा।

7 **समय सारणी राज्य स्तर पर होने वाली स्टेज–1 परीक्षा दिनांक 03.11.2019**

परीक्षा, दिनांक एव दिन	परीक्षा का नाम	परीक्षा प्रश्नपत्र	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉं भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय
03.11.2019 (रविवार)	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक(दृष्टिवाधित के लिए) 10:00बजे 12:30	प्रातः 09:45	प्रातः 09:45 से 10:00 बजे तक	प्रातः 09:55 बजे से
		शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	दोपहर 01:30 बजे से 03:30 (दृष्टिवाधित के लिए) 01:30बजे 04:00	दोपहर 01:15	दोपहर 01:15 बजे से 01:30 तक	दोपहर 01.25 बजे से

8. **आवेदन की प्रकिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति –**

8.1 **इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार मेन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 08/09/2019 है।**

8.2 आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपीऑनलाइन की बेवसाइट http:/www.mponline.gov.in पर दिनांक 08/08/2019 से प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के लोगो पर क्लिक करने पर NTSE लिंक मिलेंगी, NTSE लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।

8.3 अभ्यार्थी को आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संस्था प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।

8.4 अभ्यार्थी पूर्ण रूप से भरा एवं संकुल प्राचार्य/संस्था प्राचार्य से सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र में ले जाकर ऑनलाइन एंट्री करवायेगा।

8.5 आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी। यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यार्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जायेगा। आवेदन पूर्ण अंकित रसीद की दो प्रतियों में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखे एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेगें। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाइट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी कार्यालय)को आवेदन–पत्र सूचीबद्ध करके भेजेंगे। डाईट/डी.पी.सी.कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द, भोपाल को भेजे जावेंगे।

8.6 स्वंय के नाम का जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑन लाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।

8.7 ऑन लाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे।

8.8 आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।

8.9 आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए।

8.10 ऑन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 X 4. 5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिये।

8.11 पोलोराइड, (Polaride) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड पर लगा हुआ फोटोग्राफ भी मान्य नहीं होगा।

8.12 काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।

8.13 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किये जाने चाहिए।

8.14 आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

8.15 अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नही किये जाने है।

8.16 आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नही होना चाहिए।

8.17 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।

8.18 प्रवेश पत्र अक्टूबर माह के तृतीय सप्ताह से एमपीऑनलाइन के लिंक बेवसाइट http:/www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यार्थी स्वयं डाउनलोड कर सकेगे।

9. **परीक्षा का माध्यम**– परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

10 **परीक्षा शुल्क**– इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है ।

11. **पुनर्मूल्यांकन**– इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नही है।

12. **यात्रा भत्ता**– परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने –जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

13. **महत्वपूर्ण निर्देश**–

13.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचना अनिवार्य है।

13.2 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

13.3 परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।

13.4 परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार कि किताब या कापी ,सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार की इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

13.5 **परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :– प्रवेश–पत्र, केवल काला /नीला बॉलप्वाइंट पेन। जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।**

13.6 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगे, प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर होगें जिनमें से एक सही होगा।

13.7 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नही है।

13.8 आवेदक अपना भरे हुए हार्डकापी आवेदन–पत्र की छायाप्रति संभाल कर रखें, जिसके आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र एमपीऑनलाइन से प्राप्त किया जा सकेगा।

13.9 प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

14. **परीक्षा केन्द्र :–**

परीक्षा मध्यप्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त किया जायेगा परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश पत्र पर अंकित होगी।

15. **अनुचित साधन :–**

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जावेगा :–

15.1 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

15.2 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

15.3 परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

15.4 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

15.5 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्न–पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

15.6 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न–पुस्तिका की अदला–बदली करना।

15.7 **परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार कि किताब या कापी ,सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा, इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, इनमें से कोई भी सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।**

15.8 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

15.9 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

15.10 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

15.11 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यार्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यार्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यार्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

16. **मूल्यांकन पद्धति :-** वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

17. **लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र. /एक, दिनांक 08.09. 2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक (शासकीय) के प्रमाणी करण एवं सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(17.1) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

17.1.1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।

17.1.2 मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

17.1.3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो।

17.1.4 दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो।

(17.2) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे NCERT के नियमानुसार 30 मिनिट की अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

(17.3) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

17.3.1 लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

17.3.2 लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी यथा लेखन लिपिक का नाम पिता का नाम अध्ययनरत शाला एवं अध्ययनरत कक्षा का संबंधित संस्था प्राचार्य द्वारा

प्रमाणीकरण, अभ्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को प्रस्तुत कर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

(17.4) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाऍं :–

17.4.1 परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाऍं मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा।

17.4.2 ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

नोटः– **किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर निराकरण हेतु दूरभाष नंबर 0755-2559952/MP Online 0755-6720200 पर संपर्क करें।**

- **छात्र के द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी लॉक होने के बाद परिवर्तित नहीं की जायेगी कृपया जानकारी भरने से पूर्व परीक्षा नियम पुस्तिका का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें।**

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

प्ररूप

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाल आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-........................ दिनांक-.........................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पति/पुत्री.. ग्राम/कस्बा.. पोस्ट ऑफिस..थाना.. तहसील.................................. जिला.................................... राज्य.................................... पिन कोड.................. के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी) ।

II. जिसके पास 1200 वर्गफूट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।

III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

IV. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

2. श्री/ श्रीमती/कुमारी..जाति.................................... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर..............(कार्यालय की मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/NTSE-NMMSS/2019/1786 भोपाल दिनांक 07/08/19

विज्ञापन

राष्ट्रीय मीन्स–कम–मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2019–2020 (NMMSS)

(मध्यप्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2019–20 में कक्षा 8वी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स–कम–मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई है। म0प्र0 राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा 2019–20 दिनांक 03.11.2019 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी रूपये 12000/- के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वी एवं 11वी में न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है।

1. **पात्रता** – म.प्र. राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायो द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2019–20 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत् ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिन्होने कक्षा 7 में कम से कम "C" ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1.50 लाख (रू. एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।

2. **पाठ्यक्रम** – इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वी एवं 8वी की परीक्षा के समान होगा।

3. **परीक्षा शुल्क** – परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

4. **परीक्षा का माध्यम** –परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

5. **आरक्षण** – म.प्र. राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा।

6. परीक्षा का विवरण –

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	08/08/2019
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	08/09/2019
परीक्षा दिनांक व दिन	03.11.2019 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

परीक्षा का समय :– प्रातः 10.45 से 12.30 तक (MAT हेतु)
दोपहर 12.30 से 2.15 तक (SAT हेतु)

परीक्षा	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हता अंक	
				सामान्य वर्ग	अ.जा./अ.ज.जा./निःशक्त वर्ग
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90 मिनट	90	90	40% अर्थात 72 अंक	32% अर्थात 58 अंक
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	90	90		

नोट – दोनों प्रश्नपत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

- मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन–विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होगें।
- शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होगें।

7. **आवेदन की प्रकिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति–**

7.1 **इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार मेन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।**

7.2 आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपीऑनलाइन की बेवसाइट http//www.mponline.gov.in पर प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के मोनो पर क्लिक करने पर NMMSS लिंक मिलेंगी, NMMSS लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।

7.3 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संबंधित प्रधान अध्यापक एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।

7.4 अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के पास जाकर ऑनलाइन एंट्री करवायेगा।

7.5 आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, जैसे–कक्षा सातवीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र, एस.सी./एस.टी./निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर संकुल प्राचार्य को जमा करें।

7.6 आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी। यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यार्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जायेगा। आवेदन पूर्ण अंकित रसीद की दो प्रतियों में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखे एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेगें। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र

संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाइट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी. कार्यालय) को आवेदन–पत्र भेजेगें। डाईट/डी.पी.सी. कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को निर्धारित तिथि पर ही भेजे जावेंगे।

7.7 जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।

7.8 आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है।

7.9 प्रवेश पत्र माह अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में एमपीऑनलाइन के लिंक https//www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे।

8. **परीक्षा का माध्यम** – परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

9. **परीक्षा शुल्क** – इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है ।

10. **पुनःपरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन** – इस परीक्षा हेतु पुनःपरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

11. **यात्रा भत्ता** – परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने–जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।

12. **महत्वपूर्ण निर्देश** –

12.1 **परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुचे।**

12.2 **परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब या कापी ,सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार की इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।**

12.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

12.4 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नही हैं।

12.5 उत्तरशीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।

12.6 परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री – प्रवेश–पत्र, केवल काला/नीला बॉलप्वाइंट पेन (जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।)

12.7 परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण परीक्षा संबंधी नियम पुस्तिका में उपलब्ध है जिसे एमपीऑनलाइन की वेबसाईट http//www.mponline.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र,
भोपाल

राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल

राष्ट्रीय मीन्स–कम–मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा 2019–2020 (NMMSS)

(मध्यप्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2019–20 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

परीक्षा नियम पुस्तिका

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय– मीन्स–कम–मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। म0प्र0 राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा दिनांक 03.11.2019 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी, प्रतिवर्ष रूपये 12000/- के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं में 55 प्रतिशत अंक एवं कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय, स्थानीय निकाय विद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिये ही है।

1 **पात्रता** – म.प्र. राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायो द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2019–20 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत् ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम "C" ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1.50 लाख (रू. एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नही है।

2 **आरक्षण** – म.प्र. राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। निःशक्तजन अंतर्गत अस्थिबाधित, श्रवणबाधित एवं दृष्टिबाधित तीनों वर्ग के 40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता के अभ्यार्थी ही आरक्षण हेतु पात्र होंगे। स्वंय के नाम का जाति प्रमाणपत्र एवं निःशक्जन प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

3 **परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां–**

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	08/08/2019
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	08/09/2019
परीक्षा दिनांक व दिन	03.11.2019 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

4. **परीक्षा का विवरण**

परीक्षा प्रश्न–पत्र	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हता अंक	
				सामान्य वर्ग	अ.जा./अ.ज.जा./विकलांग वर्ग
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90 मिनट	90	90	40% अर्थात 72 अंक	32% अर्थात 58 अंक
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	90	90		

- मानसिक योग्यता परीक्षण– इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में समजातता,वर्गीकरण,श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन–विकोडन, खंड समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।
- शैक्षिक योग्यता परीक्षण– इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्नो में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे।

5 **पाठ्यक्रम–** इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वी एवं 8वी की परीक्षा के समान होगा।

6 **समय सारणी–**

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा का नाम	परीक्षा प्रश्नपत्र	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जॉनकारियां भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र वितरण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
03.11.2019 (रविवार)	राष्ट्रीय मीन्स–कम–मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	प्रातः 10:45 बजे से	प्रातः 10:45	प्रातः10:45 से 10:55 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:55 बजे	प्रातः 10:55 से 11:00 बजे तक (05 मिनिट)	प्रातः 11:00 से 12:30 बजे तक (कुल ड़ेढ़ घण्टा)
		शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	दोपहर 12:30 बजे से	दोपहर से 12:30	दोपहर 12:30 से 12:40 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 12:40 बजे	प्रात 12:40 से 12:45 बजे तक (05 मिनिट)	प्रात. 12:45 से 02:15 बजे तक (कुल डेढ घण्टा)2:45 तक दृष्टिबाधित के लिए

7 आवेदन की प्रकिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति

7.1 **इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी प्रकार मेन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। परीक्षा के आवेदन पत्र संकुल प्राचार्य के द्वारा (आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां, जैसे–कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र (शपथपत्र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भी संधारित की जाएगी) सत्यापित कर ही ऑन लाईन भरे जायेंगे।**

7.2 संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपीऑनलाइन की बेवसाइट http//www.mponline.gov.in से प्राप्त करके विद्यालय को उपलब्ध कराएंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र के लोगो पर क्लिक करने पर NMMSS लिंक मिलेंगी, NMMSS लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा। आवेदन पत्र दिनांक 08.08.2019 से डाउनलोड किए जाने हेतु उपलब्ध रहेंगे।।

7.3 विद्यालय के छात्रों द्वारा पूर्ण रुप से भरे गए आवेदन पत्र, प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रेषित करके संकुल प्राचार्य को भेजे जाएंगे।

7.4 संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदनों का प्रमाणीकरण करने के उपरांत एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से प्रविष्टि कराई जाएगी। कियोस्क से प्राप्त आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो

प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी। यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यार्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जायेगा। आवेदन पूर्ण अंकित रसीद की दो प्रतियों में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखे एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेगें।

7.5 ऑनलाईन प्रविष्टि कराए गए आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी संकुल स्तर पर संधारित की जाएगी। (आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां, जैसे–कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र (शपथपत्र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भी सधारित की जाएगी)। छात्र स्वयं का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7.6 जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।

7.7 संकुल प्राचार्य अपने केन्द्र के समस्त आवेदन पत्रों की सूची संलग्न प्रारूप अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेगें एवं भविष्य में आवश्यकता अनुसार चाहे गए आवेदन पत्र राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराएंगे।

7.8 NMMSS परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत अर्ह घोषित किए गए विद्यार्थी का आवेदन पत्र जो पूर्व निर्देश अनुसार संकुल प्राचार्य कार्यालय में सुरक्षित रहेगा। विहित आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र तथा संबंधित छात्र के निकटतम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते एवं बैंक शाखा के आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि की सही जानकारी एवं पासबुक से संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करें, जहाँ इसे छात्रवृत्ति अवधि में (4 वर्ष तक) सुरक्षित रखा जावेगा। आवश्यकता पडने पर वरिष्ठ कार्यालय को उपलब्ध करवायेंगे।

7.9 आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है।

7.10 प्रवेश पत्र माह अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में एमपीऑनलाइन के लिंक https//www.mponline.gov.in उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे।

7.11 आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।

7.12 ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 x 4.5 से. मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

7.13 आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए।

7.14 काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग मे लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।

7.15 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर किये जाने चाहिए।

7.16 आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

7.17 अंग्रेजी के कैपिटल लैटर में हस्ताक्षर नहीं किये जाने है।

7.18 आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।

7.19 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।

8 **परीक्षा का माध्यम** – परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

9 **परीक्षा शुल्क** – इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है ।

10 **पुनःपरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन–** इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नही है।

11 **यात्रा भत्ता –** परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने–जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नही दिया जाएगा।

12 **महत्वपूर्ण निर्देश –**

12.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचना अनिवार्य है।

12.2 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

12.3 परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।

12.4 परीक्षा कक्ष में किताब या कापी, सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार की इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

12..5 **परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्रीः– प्रवेश–पत्र, केवल काला/नीला बॉलप्वाइंट पेन। जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।**

12.6 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर होगा जिनमें से एक सही होगा।

12.7 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नही है।

12.8 आवेदक अपना भरे हुए हार्डकापी आवेदन–पत्र की छायाप्रति संभाल कर रखें, जिसके आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र एमपीऑनलाइन से प्राप्त किया जा सकेगा।

12.9 प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

13 **परीक्षा केन्द्र :–**

परीक्षा मध्यप्रदेश के 51 जिले के ब्लाक मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त किया जायेगा।

14 **अनुचित साधनः–** निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जावेगा :–

14.1 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

14.2 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

14.3 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

14.4 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्न–पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

14.5 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न–पुस्तिका की अदला–बदली करना।

14.6 **परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार कि किताब या कापी ,सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा, इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, इनमें से कोई भी सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।**

14.7 नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

14.8 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

14.9 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

14.10 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यार्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यार्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यार्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

15. **मूल्यांकन पद्धति** :– वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

16. **लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ:–**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09 2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक (शासकीय) के प्रमाणी करण एवं सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :–

16.1 यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यार्थियों को प्रदान की जावेगी :–

16.1.1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रलपल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।

16.1.2 मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डिसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

16.1.3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो।

16.1.4 दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो।

16.2 प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :–

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे NCERT के नियमानुसार 30 मिनिट की अतिरिक्त समय की पात्रता होगी।

16.3 **लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :—**

16.3.1 लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

16.3.2 लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी यथा लेखन लिपिक का नाम पिता का नाम

अध्ययनरत शाला एवं अध्ययनरत कक्षा का संबंधित संस्था प्रधान अध्यापक द्वारा प्रमाणीकरण, अभ्यर्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को प्रस्तुत कर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

16.4 **इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाऍं:—**

16.4.1 परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाऍं मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा।

16.4.2 ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

नोट:— किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर निराकरण हेतु MP Online के दुरभाष नं 0755-6720200 पर और राज्य शिक्षा केन्द्र के दूरभाष नंबर 0755—2559952 संपर्क करें।

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

परिशिष्ट – "अ"

आय प्रमाण हेतु शपथ पत्र

मैं .... पिता / पतिश्री..

निवासी.. शपथ पूर्वक यह अभिकथन करता / करती हूँ कि :–

1. मैं ....(छात्र / छात्रा का नाम) का / की वैधानिक अभिभावक हूँ तथा वह रिश्ते में मेरी पुत्र / पुत्री .... हैं।
2. सकल स्त्रोतों से मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय (अंको में) रू. .... (शब्दों में) रू. .... है।
3. आय संबंधी उक्त जानकारी पूर्णरुपेण सही है। यह जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर छात्रवृत्ति के रूप में प्रदत्त पूर्ण राशि की मुझसे दण्डित ब्याज राहित वसूली जा सकेगी एवं नियमानुसार मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही का अधिकार शासन को होगा।
4. यह शपथ पत्र मेरे पुत्र / पुत्री .... के लिये "केवल राष्ट्रीय मीन्स–कम–मेरिट छात्रवृत्ति" हेतु है। क. 1 से 3 तक में दी गई जानकारी मेरे संज्ञान में सही है।

समक्ष	हस्ताक्षर
(नाम एवं हस्ताक्षर)	(माता / पिता / अभिभावक)
संस्था प्रमुख	नाम..
संस्था का नाम................................	छात्र / छात्रा से संबंध................
दिनांक	पूर्ण पता ....